न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

निगरानी क्र...../14 R-1001-II/14

राजेश आ.रामनारायण आयु वयस्क, जाति ब्राह्मण
कृषक एवं निवासी ग्राम सेमरादांगी,
तहसील व जिला–सीहोर.....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. हेमसिंह आ.श्री किशन आयु वयस्क
2. धनसिंह आ.श्री किशन आयु वयस्क
3. बनेसिंह आ.श्री किशन आयु वयस्क

सभी निवासी एवं कृषक ग्राम सेमरादांगी,
तहसील व जिला–सीहोर .....प्रति निगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.एवं धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं.1959 को अंशतःस्वीकार आदेश पत्रिका दिनांक 07/02/2014 प्रकरण क्र.2/अ–70/2013–14 राजेश विरूद्ध हेमसिंह आदि में पारित तहसीलदार सीहोर

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/02/2014 जो अंशतःस्वीकार किया गया है से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं आधारो पर यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करता है –

–:: तथ्य ::–

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.एवं धारा 32 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया था जिसमें रेस्पॉडेंट क्र.1 व 2 से संबंधित अन्य व्यक्तियों ने शरीफ खॉ एवं अन्य के साथ मिलकर मूल खसरा नं.313 के कुल क्षेत्रफल 3.593 हेक्टेयर के एक अंश भाग के विषय में निगरानीकर्ता सहित अन्य संबंधितो के विरूद्ध व्यवहार वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु व्यवहार वाद क्र.50अ/13 शरीफ खॉ एवं अन्य विरूद्ध राजेश शर्मा एवं अन्य के विरूद्ध पेश किया है जिसमें निगरानीकर्ता अपना कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रति निगरानीकर्ता क्र. 1 व 2 तथा निगरानीकर्ता के मध्य मूल खसरा नं.313 के संबंध में व्यवहार न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद विचाराधीन रहने की दशा में निगरानीकर्ता अपना कब्जा करने का वाद भी काउंटर क्लेम के रूप में माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना

––2––

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-1001/दो/2014 **जिला** सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश राजेश/हेमसिंह	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–1–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री जयप्रकाश त्यागी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री एस.के. गुरोंदिया अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित तर्को में मुख्य रूप से वही तथ्य अंकित किये गये है जो निगरानी मेमों में अंकित है। इसी प्रकार अनावेदक अधिवक्ता द्वारा भी मुख्य रूप से अपने लिखित तर्को के माध्यम से यही निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जावे। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीहोर के न्यायालयीन अभिलेख एवं प्रकरण कमांक 21/अ–70/ 12–13 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2014 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा दिनांक 27.1.2014 को संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 10.1.13 को अदम पैरवी में खारिज प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने का निवेदन करते हुए आदेश 23 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27.12.2013 को स्वीकार कर संहिता की धारा 250 के तहत तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण को निरस्त करने का निवेदन किया गया। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 07.02.2014 का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया, परिशीलन से पाया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक को प्रकरण वापस लेने की अधिकारिता है, तथा प्रकरण को वापस लेने की अनुमति दी जाकर यह भी निर्णय दिया गया कि राजस्व न्यायालय को सिविल न्यायालय में आधिपत्य	

प्राप्त करने हेतु सिविल वाद की अनुमति देने की अधिकारिता नहीं है। सिविल न्यायालय में सिविल वाद दायर करना आवेदक के विवेक पर निर्भर करता है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रकरण को वापस लेने की अनुमति देते हुए तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत प्रचलित प्रकरण को समाप्त करने के आदेश दिए गये।

अतः सम्पूर्ण विवेचना से तहसीलदार का आदेश विधि अनुकूल है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 07.02.2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

6.1.16
सदस्य